सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या – 318 राँची, सोमवार, 18 जुलाई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

4 जुलाई, 2022

संख्या-5/आरोप-1-50/2016-6937 (HRMS)--श्री राकेश कुमार दूबे, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-791/03), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा के विरूद्ध महिला, बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-126, दिनांक 16.05.2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र-'क' में श्री दूबे के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

(i) झारखण्ड राज्य में अधिकार शिविर का आयोजन दिनांक 18.02.2016 से 20.02.2016 तक किया गया था। प्राप्त आवेदन पत्र को लक्ष्य के अनुरूप दिनांक 21.02.2016 से 27.02.2016 तक स्वीकृत करना था। आप इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के स्वीकृति पदाधिकारी है। इंदिरा गाँधी

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का निर्धारित लक्ष्य 41,135 था, जिसके विरूद्ध 31.03.2016 तक आपने 30,087 स्वीकृत किये जो लक्ष्य के विरूद्ध 11,048 कम है। कम स्वीकृति होने के कारण भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कम राशि प्राप्त होगी, इसके लिए आप दोषी है ।

(ii) लक्ष्य के विरूद्ध 11,131 कम स्वीकृति होने के कारण कितने व्यक्ति इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से वंचित हो गये, इसके लिए आप दोषी हैं ।

(iii) आपको महिला, बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग के पत्रांक-99, दिनांक 13.04.2016 के द्वारा स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अंदर माँगा गया था, लेकिन आपके द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण उपायुक्त के माध्यम से विभाग को प्राप्त नहीं हुआ, इससे स्पष्ट है कि आप उच्च अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करते हैं ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4818, दिनांक 08.06.2016 द्वारा श्री दूबे से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री दूबे के पत्रांक-283/सा०, दिनांक 22.06.2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री दूबे के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6606, दिनांक 29.07.2016 द्वारा उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा से मंतव्य की माँगी गयी एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया। तत्पश्चात् उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-147, दिनांक 06.03.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि श्री राकेश कुमार दूबे, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में मंतव्य देने हेतु कार्यालय आदेश ज्ञापांक-137, दिनांक 12.11.2016 द्वारा जाँच दल गठित किया गया था। उक्त जाँच दल के सदस्य उप विकास आयुक्त, प० सिंहभूम ने पत्रांक-235/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 23.02.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित समर्पित करते हुए श्री दूबे द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को मान्य करने का अनुशंसा किया गया है। उप विकास आयुक्त, प० सिंहभूम के पत्रांक-235/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 23.02.2019 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन प्रतिवेदन/मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया कि सभी बिन्दुओं पर विचारोपरांत यह स्पष्ट है कि लक्ष्य के प्राप्ति में कुछ कमी रही है, लेकिन आरोप में वर्णित लक्ष्य का आंशिक भाग ही आरोपी पदाधिकारी के लिए लागू होता है। साथ ही, आरोपी पदाधिकारी के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिये किये गये प्रयासों को देखते हुए इनके स्पष्टीकरण को मान्य किया जा सकता है ।

श्री दूबे द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा द्वारा गठित मंतव्य पर विभागीय पत्रांक-4348, दिनांक 31.05.2019एवं स्मार पत्रों द्वारा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2223, दिनांक 29.11.2021 द्वारा विभागीय मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रतिवेदित है कि श्री दुबे द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा गठित समिति के मंतव्य एवं उक्त पर उपायुक्त की अनुशंसा के समीक्षोपरांत समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाता है ।

अतः उपायुक्त, चाईबासा से प्राप्त मंतव्य एवं उस पर महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए श्री राकेश कुमार दूबे, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAKESH KUMAR DUBEY BHR/BAS/3714	श्री राकेश कुमार दूबे, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राकेश कुमार दूबे, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 318 – 50